FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम

नंदराम बगैरा बनाम रेखुराम वगैरा

किस्म मुकदमा राज. अधि. नं. 354/19 सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14/11/19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिखबाराम गिरिया ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 17/12/19 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
17/12/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी का दौरा/ड्यूटी पर होने से मिसल इकबा होकर आगामी दिनांक 04/02/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
04/02/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनकी एडी पुनः प्राप्त नहीं हुई जिनको तीस (30) दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई अधिवक्ता या अभिभावक या स्वयं कोई उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा विप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया [illegible] (हस्ताक्षर)	

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 16:58:27 IST
Reason: SelfAttested

व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत मेंड़ा मेड़ आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेतों के बीच जो पुरानी मेंड़ व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेतो की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। वक्त आने पर विपक्षीगण प्रार्थी के मेड़ो को तोड़कर उसमें काश्त कर लेते है जिससे प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के मेड़ो को लेकर तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेतो के मेड़ो का सही ज्ञान करने के लिए अपने खातेदारी खेतो की पक्की पैमाइशबन्दी कर-वाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का पैमाइशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइशबन्दी आदेश किया जावे।

अत: प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का पैमाइशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतो की पक्की पैमाइशबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमाकराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास
4/12/2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 16:58:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

/वाद/20.20/ 01

दिनांकः– 04/02/2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
नन्दराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी खुमोणियों की ढाणी		टीकुराम पुत्र खेताराम वगैरा निवासी खुमोणियों की ढाणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 341/2019

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा खुमोणियों की ढाणी पटवार हल्का सवाऊ पदमसिंह तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 281 रकबा क्रमशः 211.08 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/20.20/ 02 to 06

दिनांकः– 04/02/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी सवाऊ पदमसिंह को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री नन्दराम पुत्र तेजाराम
4. विप्रार्थीगण टीकुराम पुत्र खेताराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 16:38:27 IST
Reason: SelfAttested